न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– आबिद हसन पुत्र स्व0 इब्राहिम मुसलमान ,

2– साबिर हसन पुत्र स्व0 इब्राहिम मुसलमान,

निवासी– वार्ड 13 राहतगढ़, तहसील राहतगढ़. जिला सागर

.....आवेदक

वनाम

श्रीमति अनिता बाई पत्नि प्रमोद जैन ,

साकिन राहतगढ़ तहसील राहतगढ़. जिला सागर ,

..... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15/02/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं।।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदकगण के नाम से ग्राम मड़ा, तहसील राहतगढ़ जिला सागर में भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 14/6 , 14/8 , 14/10 , 14/12 , 14/14 रकवा कमशः 0.33 , 0.48 , 0.15 , 0,07 , 0.12 , कुल रकवा 1.04 एकड़ है, जिस पर वे मालिक व काबिज हैं।

2– .यह कि आवेदकगण की खसरा नंबर 14/8 की भूमि रकवा 0.33 हैक्टर पर अनावेदिका अनाधिकृत निर्माण करने का प्रयास कर रही है। जिसको रोके जाने वावद आवेदकगण द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार महोदय राहतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था । जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया। पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में वादग्रस्त भूमि

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 620–दो/16 जिला –सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
20.1.17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील राहतगढ जिला सागर के प्रकरण कमांक 2/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15.2.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक आबिद, जाहिर हसन तनय इब्राहीम निवासी वार्ड कमांक 13 राहतगढ़ अनावेदक श्रीमती अनीता पत्नि प्रमोद जैन निवासी वार्ड कमांक 2 के विरूद्व ग्राम मढ़ा की भूमि खसरा नंबर 14/8 रकबा 0.033 हैक्टेयर पर अनाधिकृत निमार्ण किये जाने से निर्माण कार्य तत्काल रोके जाने हेतु अनुरोध किया था। तहसीलदार राहतगढ द्वारा आवेदन पत्र पटवारी हल्का नंबर 26 से जांच रिपोर्ट ली गई तदनुसार पटवारी हल्का नंबर 26 ने सीमांकन कार्य होने तक निर्माण कार्य रोके जाने हेतु प्रस्तावित किया। तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर निर्माण कार्य रोके जाने के आदेश जारी किये। राजस्व निरीक्षक राहतगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त प्रकरण में संलग्न तदनुसार अनीता पत्नि प्रमोद जैन निवासी राहतगढ ने ग्राम मढ़ा में खसरा नंबर 14 के अंश भाग 18X60 फुट भूमि रजिस्टर्ड विकयपत्र के माध्यम से कय की गई है। विकेता प्रवीण पिता बाबूसिंह ने यह भूमि कल्लू सिद्दी से कय की है जिसके आधार पर तहसीलदार राहतगढ द्वारा आवेदक हसन आदि को जारी स्थगन निरस्त किया गया एवं प्रकरण	

समाप्त कर दिया गया जिससे परिवेदति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का खसरा नंबर 14/8 की भूमि रकवा 0.33 है0 पर अनावेदिका अनाधिकृत निर्माण करने का प्रयास कर रही है जिसको रोके जाने वावद आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किया जो अनाावेदक द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था उसे दिनांक 1.2.16 को रोके जाने के आदेश दिये गये तथा उभयपक्ष को सीमांकन कराने का निर्देश किया । आवेदकगण द्वारा सीमांकन कराने वावत राजस्व निरीक्षक को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा दिनांक 10.2.16 रकवे छोटे छोटे होने के कारण सीमांकन किया जाना संभव नहीं है इस बावत तहसीलदार को अवगत करा दिया गया। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 15.2.16 को दिया गया स्थगन समाप्त करने में महान त्रुटि की है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि यदि नक्शा में बटांक नहीं है तो तहसीलदार स्वयं नक्शा में स्थल निरीक्षण करके बटांक डालने सक्षम हैं। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.2.16 विधि प्रावधानों से उचित नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरनी स्वीकार की जावे।

4— अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदिका द्वारा उपरोक्त भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गई है तथा उनके द्वारा मकान बनाने की अनुमति नगर पंचायत द्वारा ली गई है। अंत में निवेदन किया है कि तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.2.16 विधि प्रावधानों से उचित है इसलिये उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत

निगरानी समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने । आवेदक के अधिवक्ता ने उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया । संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा उपरोक्त भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गई है। राजस्व निरीक्षक राहतगढ तहसील राहतगढ ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.2.16 को प्रस्तुत किया जाकर आवेदिका अनीता पत्नि प्रमोद जैन निवासी राहतगढ ने ग्राम मढ़ा में खसरा नंबर 14 के अंश भाग 18X60 फुट भूमि रजिस्टर्ड विकयपत्र के माध्यम से कय की गई है और अनावेदिका द्वारा मकान निर्माण की अनुमति नगर पंचायत द्वारा दी गई है। निर्माणाधीन भूमि पर कय करने के समय से फाउंडेशन भरा था उसी पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह भूमि आवेदक से कय नहीं की गई । कय की गई भूमि की चतुःसीमायें मेल खाती है। इस बावत राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर स्थगन आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः तहसीलदार राहतगढ का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6—उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार राहतगढ़ जिला सागर का प्रकरण कमांक 2/अ—70/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख के साथ वापिस की जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य